रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 1972/भाद्र 10, 1894

No. 393] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 1972/BHADRA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 1st September 1972

S.O. 572(E)/18/IDRA/72.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development), No. S.O. 3091/18A/IDRA/67, dated the 2nd September, 1967 (as amended from time to time), the management of the industrial undertaking known as Messrs Diwan Sugar and General Mills, Private Limited, Sakhoti-Tanda, District Meerut, Uttar Pradesh, had been taken over in so far as it relates to the sugar industry, by the Uttar Pradesh State Sugar Corporation Limited for a period of five years up to and inclusive of the 1st September, 1972;

And whereas the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the management of the said industrial undertaking by the said Uttar Pradesh Sugar Corporation Limited should continue for a further period of two years;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 1A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the Order mentioned above shall continue to have effect for a further period up to and inclusive of the 1st September, 1974.

[No. F. 4/16/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1972

का० आ० 572(अ)/18/आई डी आर ए /72.—यत: भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 309/18ए/आई० डी० आर०ए०/67, तारीख 2 सितम्बर, 1967 के (समय-समय पर तथा संशोधित) आदेश द्वारा, मैसर्स दीलवान शुगर एण्ड जनरल मिल्स, प्राईवेट लिमिटेड, सखोतीटांडा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश नामक औद्योगिक उपक्रम का चीनी उद्योग से संबंधित प्रबन्ध उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम परिसीमित द्वारा पहली सितम्बर, 1972 तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, पांच वर्ष की कालावधि के लिए ग्रहण किया गया था ;

और यत: केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक-हित में यह समीचीन है कि उक्त उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम परिसीमित द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध दो वर्ष की और कालावधि के लिए जारी रखा जाना चाहिए ;

अत:, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18ए की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह निदेश दती है कि उपरिवर्णित आदेश पहली सितम्बर, 1974 तक, जिसके अंतर्गत यह तारीख भी है, की और कालावधि तक प्रभावी रहेगा।

[सं० फा० 4/16/72-सी० यू० सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972